115

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1136–तीन/2000 विरूद्ध आदेश, दिनाक 22–5–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 543/96–97/निगरानी.

1 महिला भागवती पुत्री प्रागदीन
पत्नि कृपाशंकर द्विवेदी निवासी लहार
2 महिला लल्लन पुत्री प्रागदीन
पत्नि केदारनाथ निवासी हिम्मतपुरा जिला जालौन म0 प्र0
हाल लहार द्वारा मुख्त्यारआम कृपाशंकर द्विवेदी
निवासी लहार जिला भिण्ड

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मन्दिर श्री रामजानकी वाकें कस्बा लहार
व अहतमाम पुजारी मंहत गोपालदास चेला
रघुवीर दास बैरागी निवासी कस्बा लहार तहसील लहार जिला भिण्ड

–अनावेदक

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 546/96–97/निगरानी में पारित आदेश दिनाक 22–5–2000 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा लहार में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 361 रकबा 0.909 हैक्टेयर व सर्वे कमांक 972 रकबा 0.502 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.411 हैक्टेयर जो कि शासकीय अभिलेख में मंदिर श्री रामजानकी जी के नाम से दर्ज है । प्रश्नाधीन भूमि पर प्रागदीन पुत्र बैजनाथ ब्राहम्ण निवासी कस्बा लहार मौरूसी काश्तकार साल दर साल लगान पर दर्ज था । प्रागदीन के द्वारा संवत 2025 तक लगान अदा किया जाता रहा है उसके बाद प्रागदीन द्वारा लगान अदा नहीं किया गया । प्रागदीन के फौत हो जाने के बाद निगरानीकर्तागण उसके वारिसान की हैसियत से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा किये हुये है तथा लगान भी अदा नहीं किया जा रहा है । गैरनिगरानीकर्ता द्वारा संहिता की धारा 168 (4) के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर यह अनुरोध किया गया कि निगरानीकर्तागणसे हर्जा दिलाया जावे तथा प्रश्नाधीन भूमि पर से कब्जा दिलाया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 30–8–97 से निगरानीकर्तागण से कब्जा वापिस प्राप्त करते हुये गैरनिगरानीकर्ता को कब्जा दिलाये जाने का आदेश किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा अपील अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तथा संहिता की धारा 52 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थगित किये जाने की याचना की गयी । अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 01/96–97/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 15–9–97 से निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–97 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 546/96–97/निगरानी पर दर्ज

करते हुये आदेश दिनांक 22–5–2000 से निरस्त की गयी । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर निर्विवाद रूप से निगरानीकर्तागण के पूर्वज तथा उनके फौत हो जाने के बाद निगरानीकर्तागण का उपकृषक की हैसियत से कब्जा रहा तथा कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं । इतने लंबे समय से चले आ रहे कब्जे को हटाये जाने से निगरानीकर्तागण को अपूर्णनीय क्षति होगी । फिर भी अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा संहिता की धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया गया । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा भी कोई विचार न करते हुये निगरानी निरस्त करने में भूल की है ।

5/ अभिलेख के अवलोकन से यह विदित है कि विचारण न्यायालय द्वारा कब्जा हटाये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही थी, तब विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को अपना पक्ष रखे जाने तथा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके थें, किन्तु निगरानीकर्तागण द्वारा उन अवसरों का लाभ नहीं उठा सके । इसके अलावा प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की भूमि है, जिस पर मौरूसी कृषक अथवा उपकृषक के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं । 2010 रेवेन्यू निर्णय 82 बलवीर सिंह विरूद्ध हरचन्द तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 168 (1) (2) (चार) द्वितीय परन्तुक तथा 169–अवयस्क द्वारा पट्टा–धारा 168 (1) के उल्लंघन में–मौरूसी कृषक के अधिकार प्रोदभूत नहीं होते । इसके अलावा स्थगन आदेश देना या न देना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है । यदि न्यायालय की अन्तःकरण की पुष्टि हो जाती है, तो स्थगन आदेश प्रदान किया जा सकता है, यदि नहीं हुई तो आवेदन

पत्र निरस्त किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा संहिता की धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त निरस्त किये जाने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा भी पुष्टि करने में कोई अवैधानिकता नहीं बरती गयी है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2000 विधिसम्मत होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर